for according Minority status to the Hindus residing in the states of Jammu and Kashmir, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, and Punjab as Hindus in these States are numerically a minority as per 1991 Census reprot.

(c) The questions as to who constitutes a minority is the subject matter of a Writ petition in the supreme Court. The final decision in the matter of providing minority status will depend on the decision of the Supreme Court.

जड़ी-बूटियों से निर्मित उत्पादों का निर्यात

*175. **श्री कपिल सिब्बल:**
श्री राज मोहिन्दर सिंह:

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जड़ी-बूटियों से निर्मित उत्पादों के निर्यात के लिए हाल ही में स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे उत्पादों का ब्यौरा क्या है और उनमें कौन-कौन सी जड़ी-बूटियों का प्रयोग होता है;

(ग) क्या सरकार ने इन उत्पादों के निर्यात की अधिकतम सीमा तय की है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और देश में इन जड़ी-बूटियों से निर्मित उत्पादों के वार्षिक उत्पादन तथा खपत का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े): (क)से (घ) एक्जिम नीति 1997—2002 के तहत जड़ी-बूटी उत्पादों का मुक्त रूप से निर्यात करने की अनुमति है। केवल कतिपय नस्लों के पौधों, पौधों के हिस्सों और उनके अपशिष्टों और वनों से प्राप्त निस्सारणों का निर्यात प्रतिबंधित है। तथापि, रैड सैंडर्स के अपशिष्टों एवं निस्सारणों को छोड़कर, इन प्रजातियों की उत्पादित किस्मों का निर्यात उनके अपशिष्टों एवं निस्सारणों समेत (मूल्यवर्धित जड़ी-बूटी नुस्खों समेत) निर्दिष्ट प्राधिकारी से उत्पादन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर मुक्त रूप से किए जाने की अनुमति है। पौधों की ऐसी प्रजातियों की सूची "निर्यात एवं आयात मद 1997—2000 का आई टी सी (एचएस) वर्गीकरण" नामक पुस्तिका के परिशिष्ट 2 अनुसूची 2 में उपलब्ध है।

ऐसी मदों के निर्यात के लिए कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है। आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण पुस्तक में सूचीबद्ध अधिकांश प्रजातियां वन में प्राकृतिक रूप में व्यापक पैमाने पर उगती हुई पाई जाती हैं और वनों के बाहर इनकी खेती लगभग नगण्य है। यही करण है कि ऐसी जड़ी बूटियों के वार्षिक उत्पादन और खपत का आकलन नहीं किया जाता है और इसके आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

Import Under OGL

*176. SHRI PREM CHAND GUPTA: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have allowed the import of 200 items from SAARC nations under OGL;

(b) whether this agreement will allow the import of Sri Lankan tea to India at concessional rates; and

(c) what will be the impact of this decsion on the Indian Industry?

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI RAMAKRISHNA HEGDE):(a) to (c) The Government has allowed import of 2307 items under OGL from SAARC nations vide Public Notice No. 25 (PN)/97-02 dated 01.08.1998.

The said public Notice only allows free import of items restricted for reasons of Balance of Payments without any concession in duty.

Land for housing in Metropolitan Cities

*177. SHRI AMAR SINGH: Will the MINISTER OF URBNAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT be pelased to state:

(a) the approximate hectare of land in Mumbai, Delhi and other Metropolitan cities that would be available for housing and urban infrastructure development following the repeal of the Urban land (Ceiling and regulation) Act;

(b) whether Government had issued any guidelines to the State Governments to ensure the availability of dwelling units for the low and middle income persons; and

(c) if so, the details thereof; and if not, the reaosns theefor?

THE MINISTER OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (SHRI RAM JETHMALANI): (a) The Urban Land (Ceiling & Regualtion) Act, 1976 till its repeal was applicable to the following 12 States:—

1. ANDHRA PRADESH
2. ASSAM
3. BIHAR
4. GUJARAT
5. KARNATAKA
6. ORISSA
7. MADYA PRADESH
8. MAHARASHTRA
9. PUNJAB
10. RAJASTHAN
11. UTTAR PRADESH
12. WEST BENGAL

The Urban Land (Ceiling & Regulation) Act, 1976 stands repealed in the States of Punjab, Haryana and all the Union Territories. In the case of the Union Territory of Delhi as reported by Government of National Capital Territory of Delhi, approximately 400 hactares of additional land will be available following the repeal of the act. In the case of Punjab excess vacant land to the extent of 189.83 hactares would be available in respect of three urban agglomerations including the metropolition city of Ludhiana as reported by Government of Punjab. Though the Urban Land (Ceiling & Regulation) Act was applicable in the State of Haryana till the repeal, Haryana had no towns coming under the purview of the act.

The repeal Ordinance will apply to all other States (except Haryana, Punjab and Union Territories, where it has come in force) including Maharashtra where the Principal Act is applicable, after its adoption by a resolution passed by the State legislature concerned. Till the repeal is adopted by these States, no land is likely to be available.

(b) and (c) The repeal is likely to boost housing activity and benefit all sections of the people. However, Government have issued guidelins to the State Governemnts and Union Territories to protect the interess of people belonging to EWS and LIG categories. A copy of the guidelines is anexed. *See Appendix 186, Annexure No. 20)*

हरियाणा में वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे गैर-सरकारी संगठन

*178. **श्री रामजीलाल:** क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हरियाणा में केन्द्र सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे स्वयंसेवी संगठनों की संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन संगठनों द्वारा कितनी वित्तीय सहायता की मांग की गई और उन्हें वास्तव में कितनी वित्तीय सहायता दी गई; और

(ग) कल्याण संबंधी कार्य-कलापों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के क्या मानदंड हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान हरियाणा में जिन स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता दी गई उनकी संख्या और स्वीकृत सहायता की राशि निम्नलिखित है:—

संगठनों की संख्या 29

स्वीकृत वित्तीय सहायता की राशि:

1995-96	94.00 लाख रुपए
1996-97	90.80 लाख रुपए
1997-98	108.95 लाख रुपए

(ग) सहायतानुदान योजनाबद्ध मानदंडों के आधार पर तथा संबंधित राज्य सरकार की सिफारिशों के आधार पर प्रदान किया जाता है। सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत और कल्याण कार्यकलापों में लगे हुए संगठनों को सहायता अनुदान के लिए विचार किया जाता है।